जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. अम्बिकापुर

प्रधान कार्यालय देवीगंज रोड अम्बिकापुर

Email. account@jskbambikapur.com

बैंक मुख्यालय एवं शाखाओं का Concurrent Audit (सतत अंकेक्षण) कार्य हेतु निविदा सूचना

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर (छ.ग.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बैंक की मुख्यालय एवं समस्त 31 शाखाओं का " Concurrent Audit" कार्य हेतु सी.ए. फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा बैंक मुख्यालय एवं 31 शाखा (जिसमें जिला सरगुजा 9, जिला सूरजपुर 8, जिला बलरामपुर 8, जिला कोरिया 2, जिला मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर 4) हेतु बंद लिफाफे में दिया जाना है। लिफाफे के उपर " Concurrent Audit" तथा निविदाकर्ता सीए संस्था का नाम, पूर्ण पत्ता एवं दूरभाष नम्बर लिखा जाना आवश्यक है। निविदा बंद लिफाफे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुख्यालय देवीगंज रोड, अम्बिकापुर के नाम से रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर सर्विस द्वारा ही प्रेषित करना होगा। पात्रता निम्नानुसार है –

1- निविदाकर्ता को ICAI मे रजिस्टर्ड होना।

2. निविदाकर्ता फर्म को छ.ग. स्थित किसी भी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कम से कम तीन वर्ष का सतत अंकेक्षण का अनुभव होना अनिवार्य है।

3. निविदाकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं (छ0ग0) के द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्ट न किया गया हो।

4. निविदाकर्ता का मुख्यालय छ.ग. के अन्दर होना अनिवार्य है। बैंक कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय के चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।

5. निविदाकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक तथा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (छ0ग0) के ऑडिट पैनल में शामिल होना अनिवार्य होगा।

6. निविदाकर्ता की फर्म में न्यूनतम 2 DISA पात्रताधारी पार्टनर होने अनिवार्य होगा।

7. निविदाकर्ता की फर्म में न्यूनतम 2 पार्टनर – Certificate of Concurrent Audit of Bank (ICAI) होने अनिवार्य है।

1	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	13.05.2026 (अवकाश अवधि को छोड़कर)	कार्यालयीन समय
2	निविदा खोलने की तिथि व स्थान	14.05.2026	समय 2 बजे स्थान – बैंक मुख्यालय
3	चयनित फार्मो को कार्यादेश जारी करने का दिनांक	14.05.2026	

कार्य प्रणाली–

01. शाखाओं के गत माह का सतत अंकेक्षण प्रतिवेदन आगामी माह के 15 तारीख के पूर्व प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

02. गत माह के अंकेक्षण में आपत्ति के निराकरण के गुणवता का टीप देना अनिवार्य होगा।

03. अंकेक्षण आपत्ति के गुणवत्ता पूर्ण निराकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/उच्च कार्यालय के तत्संबंध में जारी परिपत्र/निर्देश/मार्गदर्शी पत्र शाखा/प्रधान कार्यालय को निराकरण हेतु प्रस्तुत कर सर्वोत्तम उपयुक्त सुझाव देना होगा।

नोट – बैंक के वेबसाईट www.jskbambikapur.bank.in से नियम–शर्ते (Terms & Conditions) डाउनलोड कर निर्धारित अवधि में जमा करना होगा, निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा के संबंध में जानकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के लेखाकक्ष से भी प्राप्त की जा सकती है। निविदा केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर सर्विस से स्वीकार किया जावेगा। ऑनलाईन अथवा ई–मेल पर भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा निर्धारित तिथि में नहीं खोली जाती तो आगामी तिथि की सूचना निविदाकर्ताओं को दूरभाष के माध्यम से दी जावेगी। निविदा की नियम व शर्तें सभी निविदाकारों को बंधनकारी होगी। निविदा में कोई सुधार संशोधन होने पर बैंक की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। निविदाकारो द्वारा नियम, शर्तो एवं पात्रता के आधार पर प्रेषित निविदा तथा दस्तावेज का परीक्षण बैंक के क्रय कमेटी द्वारा किया जावेगा। क्रय कमेटी द्वारा प्रथमतः फर्म के विवरण के साथ पात्रता/आर्हता वाले लिफाफा खोलकर पात्रता का परीक्षण किया जावेगा। पात्रता/आर्हता परीक्षण उपरांत ही पात्र फर्म का वित्तीय विवरण (दर वाला लिफाफा) खोला जावेगा। पात्रता परीक्षण उपरांत चयनित फर्म को कार्यादेश जारी होगा। क्रय कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त चयन प्रक्रिया तथा चयनित फर्म अंतिम व सर्वमान्य होगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा नियम शर्तों में परिवर्तन का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
अम्बिकापुर